कार्यालय अधिष्ठाता,

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा

क्रमांक 138 / स्था. / विज्ञप्ति / 2018 छिन्दवाड़ा, दिनांक 20/09/18

//विज्ञप्ति//

1. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 246 / डी.एम.ई / यो.वि. / 2018 दिनांक 09 / 08 / 2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक सेवा आदर्श नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा के अधीन गैर–शैक्षणिक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र शासकीय स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा हेतु– एनाटामी विभाग, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, टी.बी. सेनीटोरियम के पास, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड– 480001 में दिनांक 04 / 10 / 2018 सांय 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट :- www.governmentmedicalcollegechhindwara.com पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट :– www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2. आवेदक पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से– एनाटामी विभाग, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, टी.बी. सेनीटोरियम के पास, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड– 480001 की आवक जावक शाखा में जमा कराये जा सकते है।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में गैर शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम.... और आरक्षित / अनारक्षित.... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता,
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा

क्रमांक 138 / स्था / विज्ञाप्त / 2018 छिन्दवाड़ा, दिनांक 20/8/18

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप 246/डी.एम.ई/यो.वि./2018 दिनांक 09/08/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक सेवा आर्दश नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2018 तक आमंत्रित किये जाते है

स.क्र.	पदनाम	आरक्षण की स्थिति			
1	2	3	4	5	6
		UR	SC	ST	OBC
1	स्टेनोग्राफर	2	-	1	1
2	स्टेनो टाईपिस्ट	3+1F	1	2+1F	1
3	सहायक ग्रेड -3	6+2F	2	4+2F	2+1F

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, PH= फिजिकली हैंडिकैप्ट, F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार पद आरक्षित है।

1— पद नाम पदों की संख्या, वेतनमान, न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु संबधी विवरण —

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन ग्रेड + ग्रेड —पे	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	2	4	5	6	7
1	स्टेनोग्राफर	04	5200—20200+2800	18वर्ष	1. अभ्यार्थी ने हायर सेकेंण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोंपधि/ प्रमाण पत्र हो। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद् से अग्रेंजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र। 3. सी.पी.सी.टी. परीक्षा आवश्यकतानुसार हिन्दी अथवा अंग्रजी अथवा दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	62वर्ष

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

2	स्टेनो टाईपिस्ट	09	5200—20200+1900	18 वर्ष	1— अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/ प्रमाण पत्र हो। 2— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर अग्रेजी अथवा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र। 3 — मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टकण के साथ उत्तीर्ण।	62 वर्ष
3	सहायक ग्रेड — 3	19	5200—20200+2100	18वर्ष	अभ्यार्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टकण के साथ उत्तीर्ण।	62 वर्ष

1. कार्यकारिणी समिति समय—समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिये अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनो अर्हताए निर्धारित कर सकेगी।
2. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
3. अधिकतम आयु म0प्र0 शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित एंव अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म0प्र0 शासन के नियमों के अनुसार होगी।
4. म0प्र0 के मूल निवासी को चयन में प्राथमिकता होगी।
5. आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
7. जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
8. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।
9. सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।

निरर्हतायें :—

- विकृत चित वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा — किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

- दो से ज्यादा जीवित संतान होने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगें।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा यह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

9. उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर की जावेगी।
10. उक्त नियुक्तियां म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अधीन होगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिमतिथि :– अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा माहाविद्यालय छिन्दवाड़ा हेतू आवेदन पत्र दिनांक 04/10/2018 सायं 5:30 बजे तक एनाटामी विभाग, पहली मंजिल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनिटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड– 480001 में प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र रजिस्र्टड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में गैर शैक्षणिक संवर्ग हेतू आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.governmentmedicalcollegechhindwara.com पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा कि वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वंय कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदन के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबधित घोषण पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्तें भी उसमें समाहित रहेगी।

अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)